२/ ६।

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का बसेठ बनाम गंगाश्याम वगै0 माठकी

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 16/22/RA निर्णय दिनांक :- 15/3/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन गैरमु0 मरघट में से 0.05 हे0 रकबे पर श्री गंगाश्याम गोरधन गीर्राज भगवान मनीराम पि0 लटूर ब्राह्मण पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घूड़ा/लकड़ी डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का बसेठ मसारी द्वारा दिनांक 22/12/2021 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी गंगाश्याम गोरधन गीर्राज जाति ब्राह्मण निवासी बसेठ को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी गंगाश्याम, गोरधन गीर्राज वगै0 ब्राह्मण उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 540 रकबा 0.2500 हे0 में से 0.05 हे0 रकबे किस्म गैरमु0 मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 1.10 Paise का 50 गुणा 55/- पचपन रु रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी बसेठ भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
तहसील (कठूमर)